संख्या-45/2015/वे0आ0-2-707/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

सचिवालय प्रशासन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2015**

विषय :-- उत्तर प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :--

(1) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- इग्नोर किये जाने का औचित्य नहीं है।

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पद जो पूर्व वेतनमान रू0 2610-3540, 2650-4000 तथा 2750-4400 में थे और जिन पर चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पद से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कतिपय शर्तों के अधीन पदोन्नति की व्यवस्था थी, उन पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/- के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/- विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से अनुमन्य कराया जाये।

2- उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-45/2015/वे0आ0-2-707(1)/दस-8(मु0स0स0)/2008 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।